न्यायालय – सेशन न्यायाधीश, बाडमेर, जिला बाड़मेर (राज.)

पीठासीन अधिकारी	:	अजिताभ आचार्य, आर.जे.एस. जिला न्यायाधीश संवर्ग
प्रकरण संख्या	:	80/2026 फौजदारी विविध (CIS No. 171/2026)
प्रथम सूचना रिपोर्ट सं.	:	59/2026 पुलिस थाना धोरीमन्ना, अपराध अंतर्गत धारा 189(2), 115(2), 126(2), 117(2), 110, 324(4), 307 बी.एन.एस., 2023

अजीज खां पुत्र कायम खां, निवासी भलीसर, पुलिस थाना धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर

– प्रार्थी/अभियुक्त

विरुद्ध

राजस्थान राज्य

– अभियोगी

जमानत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

उपस्थित :–

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से	:	श्री राजेश विश्नोई, अधिवक्ता
राज्य की ओर से	:	श्री दामोदर कुमार चौधरी, लोक अभियोजक
परिवादी की ओर से	:	श्री भजनलाल गोदारा, अधिवक्ता

आदेश दिनांक : 11.03.2026

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 20.02.2026 को परिवादी वसीर खां ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि उसके बहनोई मंजूर खां पुत्र वईयाखान दिनांक 20.02.2026 को पुलिस थाना धोरीमना में मुकदमा संख्या 55/2028 प्रकरण दर्ज के संबंध में दस्तावेज जमा कर वापस धोरीमना से घर जा रहे थे, तभी बीच रास्ते भलीसर तालाब के पास डामर सड़क पर मंजूर खां की बोलेरो गाड़ी आरजे 04 यूए 2302 के आगे

ट्रैक्टर नंबर आरजे 04 आरडी 3129 भीड़ाकर जान से मारने की नियत से जोर से टक्कर मारी, जिससे मंजूर खां की गाड़ी बंद हो गई, तब उक्त लोगों ने मंजूर खां को मारने की नियत से हाथ में धारदार हथियार कुल्हाड़ी व लोहे के पाईप तथा सरिया से लैस होकर गाड़ी पर हमला किया, जिससे गाड़ी के कांच टूट गए व पूरी बॉडी को तोड़ दिया तथा मंजूर खां को गाड़ी से नीचे खींचकर नीचे गिराकर मजीद खां पुत्र कायम खां, देसर खां पुत्र मजीद खां, मरुआ पत्नी मजीद खां, अजीज पुत्र कायम, मडा खां पुत्र अजीज खां और गजा खां पुत्र मजीद खां ने मंजूर खां को जान से मारने की नियत से वार किया तथा मजीद खां व देसर खां ने कुल्हाड़ी से मंजूर खां के सिर पर वार किया, जिससे मंजूर खां का सिर फट गया, तब बाकी मुलजिमानों ने भी लोहे के सरिये व पाइप से सिर, हाथ पर वार किया, जिससे बांया हाथ टूट गया तथा पूरे शरीर पर गंभीर चोटें आई और वह गंभीर घायल अवस्था में उमानत पत्नी चेना के घर तक मंजूर खां को उठाकर ले गए। वहां पर उक्त लोगों ने मिलकर एक वीवो कंपनी का मोबाईल, 35000/– रुपए व हाथ में पहनी हुई सोने की आधा तोला की अंगुठी छीनकर ले ली, तब मंजूर खां द्वारा रडे करने पर निंधा पुत्र जाकू व मामद खां पुत्र गुला खां ने बीच–बचाव कर छुड़ाने का प्रयास किया, परंतु उक्त लोग नहीं माने, तब तक मंजूर खां के ज्यादा चोटें लगने के कारण बेहोश हो गया तो उक्त लोग मरा हुआ समझ कर मौके से भाग गए, गंभीर घायल अवस्था में सरकारी अस्पताल में लेकर आए। इत्यादि रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 59/2026 अपराध अंतर्गत धारा 189(2), 115(2), 126(2), 110, 324(4), 307 भारतीय न्याय संहिता में दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। दौराने अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 05.03.2026 को गिरफ्तार कर अभिरक्षा में भेजा गया। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा विद्वान् न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2, बाड़मेर के समक्ष जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 पेश किया गया, जिसे विद्वान् न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2, बाड़मेर द्वारा दिनांक 06.03.2026 को खारिज किया गया, जिससे व्यथित होकर विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त अजीज खां की ओर से यह जमानत आवेदन पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अधीन पेश किया गया, जिसकी नकल विद्वान् लोक अभियोजक को दिलाई गयी। प्रकरण आपराधिक विविध दर्ज रजिस्टर किया गया। अनुसंधान

पत्रावली तलब की गई। उभय पक्षकारान् की बहस सुनी गई।

2. दौराने बहस विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने जमानत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त से कोई अनुसंधान या बरामदगी बकाया नहीं है। प्रार्थी दिनांक 05.03.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण अन्वेषणाधीन है, जिसकी अन्वीक्षा एवं विचारण में समय लगने की संभावना है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज या लंबित नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जावे।

इसके विपरीत विद्वान् लोक अभियोजक एवं परिवादी के विद्वान् अधिवक्ता ने प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करते हुए उक्त जमानत आवेदन खारिज किए जाने का निवेदन किया।

3. उभय पक्षों के तर्कों को सुना, अनुसंधान पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया।

4. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के न्यायिक दृष्टांत S.B.Cri. Misc. Bail Application No. 13513/2020 जुगल बनाम राजस्थान राज्य में दिये गये निर्देशानुसार अनुसंधान पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध हस्तगत प्रकरण के अतिरिक्त अन्य कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होने का अंकन नहीं किया गया है।

5. अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध अंतर्गत धारा 189(2), 115(2), 126(2), 117(2), 110, 324(4), 307 बी.एन.एस., 2023 का आरोप प्रमाणित माना गया है। अनुसंधान पत्रावली पर संलग्न मजरूब मंजूर खां की एक्स–रे रिपोर्ट के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि मजरूब के बाएं हाथ पर कोई इंजरी नहीं बतायी गयी है तथा मजरूब के बाएं कंधे के बाएं हंसली का एवं नाक की हड्डी का अस्थिभंग होना बताया गया है। प्रकरण का मजरूब मंजूर खां अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुका है। अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज या लंबित नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 05.03.2026 से अभिरक्षा में है। प्रार्थी/अभियुक्त से कोई अनुसंधान एवं बरामदगी बकाया नहीं है। प्रकरण अन्वेषणाधीन है, जिसकी अन्वीक्षा व विचारण में

समय लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए इस स्तर पर प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार की टिप्पणी किए बिना प्रार्थी को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

6. अतः प्रार्थी/अभियुक्त अजीज खां पुत्र कायम खां की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 भा.ना.सु.सं. स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त पचास हजार रुपए की मौतबीर जमानत व पचास हजार रुपए का स्वयं का व्यक्तिगत बन्धपत्र प्रकरण के विचारण मध्य नियमित रूप से उपस्थिति हेतु विद्वान् न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2, बाड़मेर के समक्ष उनकी संतुष्टि अनुसार प्रस्तुत कर तस्दीक करा दें तो प्रार्थी/अभियुक्त को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 59/2026 पुलिस थाना धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर अपराध अंतर्गत धारा 189(2), 115(2), 126(2), 117(2), 110, 324(4), 307 बी.एन.एस., 2023 में जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(अजिताभ आचार्य)
सेशन न्यायाधीश, बाड़मेर
जिला बाड़मेर

7. आदेश आज दिनांक 11.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजिताभ आचार्य)
सेशन न्यायाधीश, बाड़मेर
जिला बाड़मेर

Steno Gr. III
"Authenticate document"
Digitally signed by AMAN SHARMA
Date: 2026.03.11 17:46:55 +0530